



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

देहरादून, सोमवार, 03 नवम्बर, 2014 ई0

कार्तिक 12, 1936 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

संख्या 318/रा0स0/3/2014(1)

नई दिल्ली, 03 नवम्बर, 2014

### अधिसूचना

यतः, भारत के राष्ट्रपति ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 03 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य से यह अपेक्षा की है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:-

### सारणी

राज्य का नाम	सदस्यों की संख्या
(1)	(2)
1) उत्तर प्रदेश	10
2) उत्तराखण्ड	1

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) उपर्युक्त राज्यों में प्रत्येक निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख - 10 नवम्बर, 2014 (सोमवार)

(ख) नाम निर्देशन की संविक्षा की तारीख - 11 नवम्बर, 2014 (मंगलवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख - 13 नवम्बर, 2014 (गुरुवार)

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और - 20 नवम्बर, 2014 (गुरुवार)

(ङ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 03 नवम्बर, 2014 ई0 (कार्तिक 12, 1936 शक सम्वत्)

(आ) 9:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, ऊपर उल्लिखित सभी राज्यों में मतदान होगा।

आदेश से,  
के0 अजय कुमार,  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

राधा रतूड़ी,  
प्रमुख सचिव एवं  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 318/CS/3/2014(1)  
Dated New Delhi, November 03, 2014

**NOTIFICATION**

Whereas, the President of India has, by notification issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 3<sup>rd</sup> November, 2014 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in columns (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said TABLE;

**TABLE**

Name of the States (1)	No. of members (2)
1) Uttar Pradesh	10
2) Uttarakhand	1

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

- (A) appoints, with respect to the said election in each of the above mentioned States --
- the 10<sup>th</sup> November, 2014 (Monday), as the last date for making nominations;
  - the 11<sup>th</sup> November, 2014 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
  - the 13<sup>th</sup> November, 2014 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - the 20<sup>th</sup> November, 2014 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - the 22<sup>nd</sup> November, 2014 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) fixes the hours from 9:00 A.M. to 4:00 P.M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States, on the date specified above, for the election.

By Order,

**K. AJAYA KUMAR,**  
Principal Secretary to the  
Election Commission of India.

**RADHA RATURI,**  
Principal Secretary and  
Chief Election Officer